**उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल**

**आपराधिक संख्या 661/2022**

**जिलाःहरिद्वार**

1-चरणजीत सूद .....याचिकाकर्ता

**उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल**

**आपराधिक निगरानी संख्या 661/2022**

चरणजीत सूद .....

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....

प्रतिवादी

प्रस्तुतियां:-

श्री वैभव सिंह चौहान, निगरानीकर्ता के अधिवक्ता

श्री बी. पी. एस. मेर, राज्य के स्थायी अधिवक्ता

**निर्णय**

**माननीय न्यायाधीश रविन्द्र मैठाणी, जे. (मौखिक)**

इस निगरानी द्वारा, प्रकीर्ण आपराधिक मामला संख्या 227/2021 श्रीमती रश्मि सूद बनाम चरणजीत सूद ("मामला"), मे प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, हरिद्वार की अदालत द्वारा पारित आदेशों दिनांकित 06.08.2022, 27.09.2022 और 13.10.2022 को चुनौती दी गई है। दिनांक 06.08.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा, निचली अदालत ने

निर्देश दिया है कि इस मामले को निगरानीकर्त्ता के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाया जाएगा; दिनांक 27.09.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा, 06.08.2022 के आदेश को अपास्त किए जाने हेतु निगरानीकर्त्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया और 13.10.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा, विधिक अधिवक्ता की सहायता की मांग करने वाले निगरानीकर्त्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख को देखा।

3. यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संहिता) की धारा 125 के अंतर्गत निगरानीकर्त्ता संख्या 2 और 3 के आवेदन पत्र पर आधारित है। यही केस का आधार है।

4. इस मामले मे ऐसा लगता है कि निगरानीकर्त्ता अदालत में प्रस्तुत नहीं हुआ और अदालत ने 06.08.2022 को आदेश दिया कि मामला उसके विरूद्ध एकपक्षीय चलेगा। इसके बाद, निगरानीकर्त्ता द्वारा 06.08.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिसे 27.09.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया ।

5. इसके बाद, 13.10.2022 को, निगरानीकर्त्ता ने एक विधिक अधिवक्ता की सहायता लेने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया कि उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करने का आदेश पहले ही दे दिया गया था।

6. न्यायालय निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता से जानना चाहता है कि कुछ आदेशों जिसके द्वारा संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन पर एक पक्षीय रूप से आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है, को रद्द करने के लिए आवेदन क्यों दायर कर सकता है,? संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 6(1)(a) के तहत निहित प्रावधान के अनुरूप कोई प्रावधान निर्धारित नहीं करती है। वास्तव में, संहिता में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 7 के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है। धारा 126 (2) में प्रावधान किया गया है कि संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मामलों में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की

उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है। किंतु इसके परंतुक में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है, जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो मामले का एकपक्षीय विनिश्चय किया जा सकता है और ऐसे एकपक्षीय आदेश को समाप्त किया जा सकता है। संहिता की खंड 126 इस प्रकार हैः-

> **"126 प्रक्रिया-** (1) धारा 125 के अंतर्गत किसी भी जिले में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है -
>
> (क) जहां वह है, या
>
> (ख) जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, या
>
> (ग) जहां वह अपनी पत्नी के साथ आखिरी बार रहा हो, या फिर नाजायज बच्चे की माँ के साथ रहा हो.
>
> 2. ऐसी कार्यवाहियों में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लाए जाएंगे जिसके विरुद्ध भरण-पोषण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, या, जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में समाप्त कर दी जाती है और समन मामलों के लिए विहित रीति से अभिलिखित किया जाएगाः
>
> परन्तु यदि मजिस्ट्रेट सहमत हो जाता है कि **व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरणपोषण के संदाय का आदेश किया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर तामील से बचता है या न्यायालय में उपस्थित होने के अपास्त जानबूझकर उपेक्षा करता है, मजिस्ट्रेट मामले की एकपक्षीय सुनवाई और अवधारण करने की कार्यवाही कर सकता है और इस प्रकार किए गए किसी आदेश को तीन महीने के भीतर किए गए आवेदन पर दर्शाये गये अच्छे कारण के लिए अलग रखा जा सकता है** भुगतान की शर्तों सहित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए,

आवेदन की तिथि से विरोधी पक्षकार को खर्चा जो मजिस्ट्रेट उचित समझे।

ग. धारा 125 के अंतर्गत आवेदनों पर विचार करते समय न्यायालय को खर्च के बारे में ऐसा आदेश करने का अधिकार होगा जो न्यायसंगत हो।" (महत्व दिया गया)

7. संहिता की धारा 126 मात्र यह कहती है कि संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मामले में साक्ष्य पक्षकारों की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश मांगा गया है, जानबूझकर सम्मन देने की तामील से बचता है या अदालत में उपस्थित होने में लापरवाही बरतता है, तो अदालत एकपक्षीय रूपमें इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

8. यदि कोई आदेश पारित किया जाता है कि संहिता की धारा 125 के आवेदन में एकपक्षीय सुनवाई की जाएगी और पश्चात्वर्ती तिथि को, वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भरणपोषण के लिए ऐसा आदेश मांगा गया है, उपस्थित होता है, तो उसकी भागीदारी को कैसे मना किया जा सकता है?

9. निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि इस स्तर पर वह अपनी प्रार्थना को दिनांक 13.10.2022 के आदेश तक सीमित करता है जिसके द्वारा निगरानीकर्त्ता को एक कानूनी सलाहकार की सहायता से इंकार किया गया है।

10. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम) की धारा 13 अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि **किसी विधि में अंतर्विष्ट कोई बात के बावजूद, किसी मुकदमे में कोई पक्षकार या कुटुंब न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किसी विधि सलाहकार द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार की हकदार होगीः परंतु यदि कुटुम्ब न्यायालय इसे न्याय के हित में इसे आवश्यक समझता है तो वह न्यायालय मित्र के रूप में विधि विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।"**

11. निगरानीकर्त्ता ने विधिक सलाहकार की मदद मांगी थी । अधिनियम की धारा 13 को ध्यान में रखते हुए अधिकार के रूप में वह इसका हकदार नहीं है, लेकिन साथ ही, इसके लिए इस आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता है कि उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पहले ही दे दिया गया है। इसलिए, दिनांक 13.10.2022 का आदेश कानून के अनुसार नहीं है। इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

12. निगरानी स्वीकार की जाती है।

13. मामले में दिनांक 13.10.2022 के पारित आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाता है ।

14. अवर न्यायालय को, निगरानीकर्त्ता द्वारा दायर किए गए आवेदन जिसमे वह कानूनी व्यवसायी की सहायता लेने के लिए प्रार्थना कर रहा है, को इस तथ्य के बावजूद कि मामले को पहले ही निगरानीकर्त्ता के विरुद्ध एकतरफा आगे बढाने का आदेश दिया गया है, कानून के अनुसार निस्तारित करने का निदेश दिया जाता है, ।

(रविन्द्र मैथाणी, जे.)

16. 11. 2022

रवि बिष्ट